

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

सा.का.नि. 197(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

### 1. लघु शीर्ष और प्रारम्भण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर हेतु नेटवर्क शुल्क या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सीएनजी हेतु कंप्रेशन प्रभार) विनियम, 2008 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न की गई हो -
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, 2006 से है;
  - (ख) "निर्धारित तारीख" से अभिप्राय 1 अक्टूबर, 2007 से है जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को अधिसूचित किया;
  - (ग) "बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है;
  - (घ) "सिटी गेट स्टेशन" का अभिप्राय उस बिन्दु से है जहां से नगर को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का अंतरण या प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (आगे से सीजीडी नेटवर्क के रूप में उल्लेख किया जाएगा) होता है;

- (ड.) "सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार" का अभिप्राय प्राकृतिक गैस के ऑनलाइन कंप्रेशन को कंप्रेस करके प्राकृतिक गैस (आगे से सीएनजी के रूप में उल्लेख किया जाएगा) में बदलने के लिए रुपए/कि०मी० में लिए जाने वाले प्रभार (सांविधिक कर और शुल्क को छोड़कर) से है ताकि उसे बाद में सीएनजी स्टेशन में उपभोक्ताओं को वितरित किया जा सके।
- (च) "सीजीडी नेटवर्क का विकास" से अभिप्राय सीजीडी नेटवर्क बिछाने, उसका निर्माण प्रचालन या विस्तार से है;
- (छ) "नेटवर्क शुल्क" से अभिप्राय सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल इकाइयों (रुपए/एमएमबीट्यू) में भारित औसत इकाई शुल्क दर (सांविधिक कर और शुल्क) से है;
- (2) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है का अर्थ अधिनियम में क्रमशः उन्हें अभिव्यक्त अर्थ से होगा।

### 3. अनुप्रयोग

(1) ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे जिसे-

- (क) निर्धारित तारीख से पहले सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;
- (ख) निर्धारित तारीख से पूर्व सीजीडी नेटवर्क बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करना जिसे बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन के लिए प्राधिकृत करने) के अंतर्गत ऐसे कार्यकलापों के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

### 4. नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण

विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में शामिल किसी कंपनी के संबंध में नेटवर्क शुल्क और कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण अनुसूची 'क' में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा।

5. नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण हेतु आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रपत्र

(1) कंपनी को अनुसूची के संलग्नक 1 में दिए गए प्रपत्र में वित्तीय, लागत और अन्य आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे;

(क) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कंपनी द्वारा उप-विनियम (1) में उल्लिखित सूचना इन विनियमों की अधिसूचना के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कंपनी द्वारा उप-विनियम (1) में उल्लिखित सूचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत करने के आवेदन-पत्र सहित देनी होगी।

6. विविध

इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों की व्याख्या से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसमें बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

## अनुसूची क

[देखें विनियम 3 और 4]

नेटवर्क शुल्क और सीएनजी क कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण की प्रक्रिया

सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के लिए नेटवर्क शुल्क और कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण सीजीडी नेटवर्क में निवेशित पूंजी के मानकीय स्तर पर प्रतिलाभ की उपयुक्त दर तथा प्रचालन व्यय के मानकीय स्तर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

## 1. वित्तीय व्यवहार्यता

ये विनियम जिस कंपनी पर लागू होंगे, को सीजीडी नेटवर्क या सीजीडी नेटवर्क परियोजना के सभी तकनीकी, प्रचालन, वित्तीय और लागत के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे जिनकी बोर्ड को नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण के लिए आवश्यकता होगी।

## 2. नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण की पद्धति

किसी अवधि हेतु ली जाने वाली नेटवर्क शुल्क की इकाई दरों तथा सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार की खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट अनुसार परियोजना के प्रतिलाभ की आंतरिक दर पर विचार करते हुए 'छूट नकद प्रवाह' (डीसीएफ) पद्धति<sup>1</sup> के आधार पर गणना की जाएगी। डीसीएफ पद्धति की प्रयोजनीयता से संबंधित मानदण्डों का खण्ड 4 से खंड 6 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

## 3. प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर

प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर होगी जो दीर्घावधि जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ की दर को ध्यान में रखते हुए चौदह प्रतिशत के बराबर होगी तथा सीजीडी आधारभूत ढांचे का सृजन करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी।

<sup>1</sup> छूट नकद प्रवाह नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार से अर्जित अनुमानित राजस्व आय से अंतर्प्रवाह की प्रतिलाभ की उपयुक्त दर पर इन प्रवाहों पर छूट देने की परियोजना की मितव्ययी कालावधि की तुलना में पूंजी और प्रचालन व्ययों के बहिर्गमन से बराबरी करने से संबंधित है। खण्डों और बहिर्गमन का आकलन आर्थिक जीवन के आधार पर किया जाता है जिससे नेटवर्क शुल्कों और सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण होता है जो प्रतिलाभ की उपयुक्त दर को प्राप्त करने के लिए परियोजना द्वारा अर्जित की जाती है।

सीजीडी नेटवर्क पर एक बार निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ की दर परियोजना की संपूर्ण मितव्यय अवधि के लिए निर्धारित होगी।

टिप्पणी:

निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ की कर-पूर्व दर की गणना आयकर, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट मूल्यांकनकर्ताओं पर लागू आयकर की सामान्य लागू दर द्वारा कुल चौदह प्रतिशत के हिसाब से की जाएगी।

4. नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के लिए निवेशित कुल पूंजी पर प्रतिलाभ

(1) कुल निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ निम्नलिखित में निवेश की गई पूंजी के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा -

(क) नेटवर्क शुल्क के निर्धारण के लिए अनुसूची क के संलग्नक 1 के खण्ड क) और खंड ग) में विनिर्दिष्ट अनुसार सीजीडी नेटवर्क में सामान्य अवसंरचना (अर्थात् प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में टैप-ऑफ प्वाइंट से सिटी गैस स्टेशन, यदि कोई हो, तक पाइपलाइन, सिटी गैस स्टेशन, पाइपलाइन सहित सिटी गेट वितरण नेटवर्क, जिला विनियामक स्टेशन तथा वितरण संबंधी उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं, किंतु उपकरणों और सुविधाओं से संबंधित सीएनजी कंप्रेशन और वितरण को छोड़कर)।

(ख) प्राकृतिक गैस के कंप्रेशन के लिए अपेक्षित अनुसूची क के संलग्नक के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार ऑनलाइन कंप्रेशरों और संबंधित सुविधाओं के सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण के लिए सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी स्टेशनों में वितरण हेतु सीएनजी की आवश्यकता। ऑनलाइन कंप्रेशर के लिए भूमि तथा सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेशर के वाल्व के निर्वहन के बाद सभी उपकरण और सुविधाएं सीएनजी के वितरण के कार्यकलापों से संबंधित हैं और इसलिए इनको निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(2) प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर मितव्ययी कालावधि की तुलना में परियोजना में कुल निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का निर्धारण करने के लिए कुल निवेशित पूंजी पर लागू होगी और प्राधिकृत व्यक्ति/फर्म परियोजना का विलत-पोषण किसी भी उपयुक्त तरीके से करने के लिए स्वतंत्र होगी।

- (3) कुल निवेशित पूंजी परियोजना में सकल निर्धारित परिसंपत्तियों के बराबर होगी जिसमें से संचित मूल्यह्रास<sup>2</sup> तथा मानकीय कार्य पूंजी (मूल्यह्रास को निकालकर प्रचालन लागत के बीस दिनों के बराबर) को घटाया जाएगा।
- (4) सकल नियत परिसंपत्तियां अर्जन (बाद के किसी प्रतिस्थापन या सुधार या संशोधन की लागत सहित) के उनके वास्तविक ऐतिहासिक लागत के बराबर होंगी या इसका बोर्ड द्वारा मानकीय आधार पर आकलन किया गया हो, जो भी कम हो, जैसा कि निम्नलिखित आधार और सिद्धांतों<sup>3</sup> के अनुसार इसकी मितव्ययी कालायधि की तुलना में सीजीडी नेटवर्क या सीजीडी नेटवर्क परियोजना में अपेक्षित हो, और जिस पर एक दक्ष और सुदृढ़ सीजीडी अवसंरचना का सृजन करने के लिए अपेक्षित अनुसार विचार किया जाए, अर्थात्:-
- (क) निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ के निर्धारण में नियत परिसंपत्ति में निवेश की अभिक्रिया संलग्नक 2 में दर्शाए गए आधार के अनुसार होगी;
- (ख) भारत में कहीं भी समान परियोजनाओं में पूंजी लागत बेंचमार्क 'एक-समान' आधार पर निर्धारित होगा।
- (ग) पाइपलाइन डिजाइन की उपयुक्तता तथा अधिकतम अनुमेय प्रचालन दबाव के संबंध में प्रचालन पद्धति;
- (घ) उपयुक्त उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आकलन के आधार पर अपेक्षित उपकरणों और सुविधाओं (सीएनजी कंप्रेसरों के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर, मीटर प्रणाली, एससीएडीए, अग्निशामक यंत्र, आदि) को इष्टतम बनाना;
- (ङ.) सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसरों जैसे उपकरणों के डिजाइन मानदण्ड;
- (च) सीजीडी नेटवर्क में प्रमुख उपकरणों - पाइपलाइन, ऑनलाइन कंप्रेसर, पाइपलाइन बिछाने या भवन लागत, परियोजना प्रबंधन परामर्श, प्रचालन-पूर्व व्यय, आदि की अद्यतन लागत का आकलन।

<sup>2</sup> मूल्यह्रास सकल नियत परिसंपत्ति के मूल्य पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अधिसूचना VI में विनिर्दिष्ट अनुसार मूल्यह्रास की दर के अनुसार गणना की जाएगी।

<sup>3</sup> यहाँ चयनित आधार और सिद्धांत अंतिम नहीं हैं और ये विचाराधीन विशिष्ट सीजीडी नेटवर्क या सीजीडी नेटवर्क परियोजना के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं जिसे बोर्ड पारदर्शी ढंग से लागू कर सकता है।

(छ) संलग्नक 3 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार नेटवर्क शुल्क के लिए निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ में अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी अर्थात् मीटर इकाई से पूर्व राइजर आइसोलेशन वाल्व तथा घरेलू सीएनजी ग्राहक के घर में बर्नर को जोड़ने वाली सुरक्षा होज पाइप के बीच) उपलब्ध कराने में खर्च की गई लागत का प्रबंधन।

#### 5. प्रचालन लागत

निम्नलिखित के प्रचालन और रखरखाव में अपेक्षित प्रचालन लागत<sup>4</sup> -

- 1) सीजीडी नेटवर्क के सामान्य ढांचे; और
- 2) प्राकृतिक गैस को सीएनजी में कंप्रेस करने के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर सुविधाओं

की नेटवर्क शुल्क के निर्धारण में तथा मितव्ययी कालावधि की तुलना में सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण में उप-खण्ड खण्ड 2) के लिए अलग से गणना की जाएगी, जो निम्नलिखित कार्यात्मक लागत शीर्ष की तुलना में बोर्ड द्वारा वास्तविक आधार पर या मानकीय आकलन, जो भी कम हो, के अनुसार होगी, अर्थात्:-

- (i) उपभोज्य वस्तुएं;
- (ii) उपयोगिताएं (बिजली, ईंधन और पानी);
- (iii) वेतन और मजदूरी;

<sup>4</sup> प्रचालन लागत वह होती है जो सीजीडी नेटवर्क (सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर सहित) के प्रचालन के लिए सृजित मूल परिसंपत्ति के उचित रखरखाव और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है और इसमें कोई वित्तीय लागत जैसे, ऋण पर ब्याज, अशोध्य ऋण, पूंजी/डिबेंचर/बंधपत्र/उधार को जुटाने या सर्विंग में खर्च की गई राशि, राजस्व राशि पर विनिमय परिवर्तन, विज्ञापन व्यय (निविदाएं आमंत्रित करने को छोड़कर) शामिल नहीं हैं, किंतु इसमें सामान्य बैंक प्रभार, बैंक गारंटी प्रभार, एलसी प्रभार, आवेदन शुल्क और बोली बंधपत्र के लिए बैंक प्रभार तथा प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार अपेक्षित निष्पादन बंधपत्र शामिल हैं।

- (iv) मरम्मत और रखरखाव
- (v) नियत परिसंपत्तियों (लाभ में से हानि मूल्य को निकालकर) और ऑनलाइन-पैक वोल्यूम;
- (vi) प्रशासनिक उपरीशीर्ष (उप-खण्ड (v) की तुलना में (i) के अंतर्गत गैर-वर्गीकरण की सीमा तक तथा साथ ही सीजीडी नेटवर्क में प्रचालनों के स्तर के अनुरूप);
- (vii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार दरों पर आधारित नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास;
- (viii) विविध आय (नियत परिसंपत्ति से वसूलीयोग्य जिसे कुल निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ या प्रचालन लागत के रूप में किया गया व्यय शामिल है, किंतु इसमें ब्याज आय, बिक्री पर लाभ या हानि अथवा किसी नियत या अन्य परिसंपत्ति का हस्तांतरण शामिल नहीं है), यदि कोई हो, को प्रचालन लागत से लिया जाएगा;

#### टिप्पणी:

चूंकि सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के लिए निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ के निर्धारण में ऑनलाइन कंप्रेशर की साइट हेतु भूमि की लागत पर विचार नहीं किया जाता, अतः सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण के लिए प्रचालन लागत के रूप में किसी भूमि के किराय या ऑनलाइन कंप्रेशन सुविधाओं के लिए भूमि पट्टे संबंधी प्रभारों के निर्धारण पर विचार नहीं किया जाएगा।



6. इकाई नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण में विचार की जाने वाली मात्रा

वार्षिक इकाई नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण (बाद की समीक्षा अवधि सहित) के उद्देश्य के लिए प्रभाजक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली मात्रा निम्नलिखित के बराबर होगी -

क) सीजीडी नेटवर्क में परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस (सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेशर तक पाइपलाइन द्वारा परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा सहित) की वास्तविक मात्रा; और

ख) सीएनजी के रूप में कंप्रेस की गई प्राकृतिक गैस की वास्तविक मात्रा।

टिप्पणी:

इकाई नेटवर्क शुल्क या सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण में प्रभाजक में विचार की गई अवधि से भिन्न समीक्षा अवधि में वास्तविक मात्रा के कारण अपेक्षित मात्रा सुधार का समायोजन अगली समीक्षा अवधि में भावी आधार पर किया जाएगा।

7. मितव्ययी कालावधि

नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार के निर्धारण के लिए परियोजना की मितव्ययी कालावधि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेष रूप से नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

8. सीएनजी के लिए नेटवर्क शुल्क और कंप्रेशन प्रभार की समीक्षा

क) नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार की समीक्षा प्रत्येक समीक्षा अवधि के दौरान अलग से की जाएगी;

ख) समीक्षा अवधि सामान्यतः परियोजना की मितव्ययी कालावधि के पांचवें वर्ष के अंत से पाँच वर्ष (1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक) की अवधि के लिए होगी;

ग) पिछली समीक्षा अवधि के दौरान पूंजी और प्रचालन लागत के संबंध में वास्तविक निष्पादन की खण्ड 4 और 5 के अंतर्गत चयनित मानदण्डों के अनुसार निगरानी की जाएगी तथा इनके अंतर को सीजीडी परियोजना की मितव्ययी कालावधि की बकाया अवधि को देखते हुए भावी गणना में समायोजित किया जाएगा।

घ) बोर्ड, या तो स्वयं या व्यक्ति/फर्म के अनुरोध पर दो शुल्क समीक्षा अवधियों के बीच में निम्नलिखित पर समीक्षा करा सकता है -

- i) एमएस, एचएसडी या सीएनजी ईंधन में अन्य किसी ईंधन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के सीएनजी ईंधन में अनिवार्य परिवर्तन करना, जिसके लिए पहले परिकल्पना नहीं की गई थी और उत्तरोत्तर निवेश की आवश्यकता;
- ii) निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ की कुल दर के लिए प्रयुक्त आयकर की लागू सामान्य दर में परिवर्तन;
- iii) नेटवर्क शुल्क या सीएनजी के लिए कंप्रेस किए गए प्रभार के निर्धारण में प्रयुक्त किसी मानदण्ड में अचानक परिवर्तन।

अनुसूची क का संलग्नक 2

[अनुसूची का खण्ड 4 (4) (क) देखें]

नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार के लिए कुल निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ के निर्धारण में नियत परिसंपत्ति और अभिक्रिया की परिभाषा

- 
- 1) सीजीडी नेटवर्क में नियत परिसंपत्ति एक मूर्त परिसंपत्ति होती है जिसकी उपयोगी आयु एक वर्ष से अधिक होती है तथा यह नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के इकाई कंप्रेशन प्रभार के माध्यम से राजस्व के सृजन से संबद्ध होती है। प्रतिभूतियों, सदभाव, वर्तमान परिसंपत्तियों, बट्टे खाते में न डाली गई संचित हानि, चल रहे कार्य, आदि नियत परिसंपत्तियां नहीं हैं।
  - 2) पुनर्मूल्यांकन या पूंजीगत हानि के कारण नियत परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक लागत में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, किसी नियत परिसंपत्ति में सुधार, आशोधन या प्रतिस्थापन पर खर्च की गई लागत पर भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के अनिवार्य लेखा मानकों में विहित अभिक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा।
  - 3) सीजीडी नेटवर्क (सीजीएस सहित) की अनिवार्य सुविधाओं की स्थापना करने के लिए खरीदी गई और प्रयुक्त भूमि की लागत पर ही विचार किया जाएगा। ऑनलाइन सीएनजी कंप्रेशनों की साइट हेतु भूमि पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भावी प्रयोग (जैसे सीजीडी विस्तार आवश्यकताओं के लिए) के लिए खरीदी गई भूमि पर तभी विचार किया जाएगा जब उसका इस्तेमाल किया जाना हो।

- 4) स्थापित के रूप में घोषित नियत परिसंपत्ति, किंतु जिसे सीजीडी नेटवर्क के प्रचालनों में न लगाया गया हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5) नियत परिसंपत्ति के स्थापना-पूर्व चरण के दौरान ऋण (किसी विदेशी मुद्रा में किसी ऋण के मामले में विदेशी विनिमय परिवर्तन सहित) पर ब्याज के पूंजीकरण के कारण नियत परिसंपत्ति के मूल्य में किसी परिवर्तन पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे ऋण का केवल उक्त नियत परिसंपत्ति के सृजन के लिए इस्तेमाल किया गया हो।
- 6) किसी नियत परिसंपत्ति पर सीजीडी परियोजना की मितव्ययी कालावधि के अंत तक 'चक्रीय आधार' पर निवेशित पूंजी पर प्रतिभाग्य हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि इसे मूल लागत के 95% तक पहुंचने पर स्थापना से हटाया न जाए। मितव्ययी कालावधि के आवधिक वर्ष में परिसंपत्ति के मूल्यह्रास को नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार हेतु डीसीएफ गणना में अंतर प्रवाह के रूप में माना जाएगा।
- 7) सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइनों में लाइन-पैक मात्रा की अभिक्रिया नीचे दर्शाई गई पद्धति के अनुसार होगी:-
- क) पाइपलाइनों में लाइन पैक के रूप में अपेक्षित प्राकृतिक गैस वही मात्रा का आकलन, जब कभी सीजीडी नेटवर्क में स्थापित किया जाए, सुरक्षा मानदण्डों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।
- ख) सीजीडी नेटवर्क की पाइपलाइनों में प्राकृतिक गैस के लाइन पैक मूल्य पर बिना मूल्यह्रास वाली नियत परिसंपत्ति के रूप में विचार किया जाएगा तथा यह परियोजना की मितव्ययी कालावधि के अनुसार नियत बना रहेगा।

- ग) लाइन-पैक मात्रा का मूल्य सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइनों की स्थापना के समय सीजीएस स्टेशन पर प्राकृतिक गैस की औसत लागत से लाइन-पैक की मात्रा को गुणा करके निकाला जाएगा।
- घ) परियोजना की मितव्ययी कालावधि के अंत में लाइन पैक का बचाव मूल्य प्रारंभ में इसके मूल्य के बराबर होगा और इस पर परियोजना के अंतर प्रवाह के रूप में विचार किया जाएगा।

### अनुसूची क का संलग्नक 3

[अनुसूची का विनियम 3(2) और खण्ड 4(4) (ख) देखें]

नेटवर्क शुल्क के लिए निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ के निर्धारण में अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) पर खर्च की गई लागत का प्रबंधन

1. विनियम 3(1) (क) या विनियम 3(1) (ख) के अंतर्गत शामिल किसी व्यक्ति/फर्म के संबंध में,

क) प्राधिकार के बाद व्यक्ति/फर्म द्वारा शामिल किए जाने वाले नए पीएनजी उपभोक्ताओं को एलएमसी प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा और ऐसी स्थिति में संबंधित सुविधाएं और उपकरण व्यक्ति/फर्म की संपत्ति होगी और कुल निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु पात्र होंगी।

ख) यदि ऐसे व्यक्ति/फर्म ने कुछ घरेलू पीएनजी ग्राहकों को पहले ही कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी है और सीधे एलएमसी प्रभार एकत्र कर लिए हैं तो रेगुलेटर, मीटर, पाइप, वाल्व आदि जैसी सुविधाएं और उपकरण घरेलू उपभोक्ता की संपत्ति होंगे:

बशर्ते कि यदि पीएनजी घरेलू ग्राहक को अंतिम मील कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की वास्तविक लागत व्यक्ति/फर्म द्वारा पीएनजी घरेलू ग्राहक से सीधे ली गई राशि से अधिक हो जाती है तो कुल निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए बकाया राशि (अर्थात् अंतिम मील कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की वास्तविक लागत तथा घरेलू पीएनजी ग्राहक से एकत्रित तथाकथित राशि के बीच का अंतर) पर विचार किया जाएगा;

ग) पीएनजी घरेलू ग्राहकों के प्रबंधन में अंतर को स्वीकृति प्रदान करने के लिए नेटवर्क शुल्क को निम्नलिखित प्रभार घटकों में बांटा जाएगा, अर्थात्:-

i) मीटर यूनिट को जोड़ने वाली पाइप से पहले सामान्य सीजीडी ढांचे के लिए नेटवर्क शुल्क प्रभार;

ii) अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए प्रभार, अर्थात् पाइप से मीटर यूनिट को जोड़ने वाले उपकरण और सुविधाएं तथा उसके उपरांत सुरक्षा होज पाइप सहित बर्नर को जोड़ने तक;

घ) घरेलू पीएनजी ग्राहक, जिन्होंने एलएमसी प्रभार को भुगतान कर दिया है, को केवल उप-खण्ड ग) की मद i) में विनिर्दिष्ट सामान्य ढांचे हेतु नेटवर्क शुल्क प्रभार का ही भुगतान करना होगा। अन्य घरेलू पीएनजी ग्राहकों को दोनों प्रभारों [अर्थात् उप-खण्ड ग) की मद i) में उल्लिखित सामान्य ढांचे तथा उप-खण्ड ग) की मद ii) में उल्लिखित एलएमसी प्रभार के लिए] का अधिकतम 5,000 रुपए की ब्याज-मुक्त वसूलीयोग्य सुरक्षा जमा राशि अदा करने के अलावा नेटवर्क शुल्क के माध्यम से भुगतान करना होगा।

2. व्यक्ति/फर्म पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (व्यक्ति/फर्म को पाइपलाइन बिछाने, निर्माण या नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करने) विनियम, 2008 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार ब्याज-मुक्त वसूलीयोग्य सुरक्षा जमा राशि एकत्र कर सकती है। ऐसी जमा राशि मीटर की सुरक्षा के लिए है और कनेक्शन वापस करने पर घरेलू पीएनजी ग्राहक को लौटाई जानी होती है। इसके अलावा, चूंकि ब्याज-मुक्त वसूलीयोग्य सुरक्षा जमा राशि के रूप में एकत्रित राशि व्यक्ति/फर्म के बही खातों में एक देयता के रूप में विद्यमान रहेंगे, अतः इन्हे नेटवर्क शुल्क का निर्धारण करते समय कुल निवेशित पूंजी में से घटाया नहीं जाएगा।

**अनुलग्नक 1**

(वित्तिक्रम 5 का उप-वित्तिक्रम (1) के अंतर्गत)

परियोजना पूंजी लागत सार (कैपेक्स बहिर्गमन)

| क्र.सं. | विवरण  | ईएनआर<br>भारतीय रूप | एफई<br>विदेशी विनिमय | योग (*) |
|---------|--|---------------------|----------------------|---------|
| क       | संयंत्र और मशीनरी  |                     |                      |         |
| 1       | सिटी गेट स्टेशन [देखें संलग्नक 1 (क)]                              |                     |                      |         |
| 2       | ऑनलाइन कंप्रेसर [संलग्नक 1ख के अनुसार]                             |                     |                      |         |
| 3       | सिटी गैस वितरण [संलग्नक 1ग के अनुसार]                              |                     |                      |         |
|         | उप-योग (क)   |                     |                      |         |
| ख       | इंजीनियरी लागत   |                     |                      |         |
| 1       | विस्तृत इंजीनियरी, प्रापण, निर्माण, पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन |                     |                      |         |
| 2       | उपर्युक्त पर सेवा कर   |                     |                      |         |
|         | उप-योग (ख)   |                     |                      |         |
| ग       | मालिक की लागत, प्रारंभण व्यय                                       |                     |                      |         |
| 1       | प्रारंभण और स्थापना व्यय   |                     |                      |         |
| 2       | मालिक का प्रबंधन व्यय  |                     |                      |         |
|         | उप-योग (ग)   |                     |                      |         |
| घ       | अन्य लागत  |                     |                      |         |
| 1       | आकस्मिकताएं और वृद्धि  |                     |                      |         |
| 2       | प्राथमिकता और प्रचालन-पूर्व व्यय                                   |                     |                      |         |
| 3       | निर्माण अवधि के दौरान ब्याज और वित्तीय प्रभार                      |                     |                      |         |
| 4       | कार्य पूंजी के लिए मार्जिन राशि                                    |                     |                      |         |
|         | उप-योग (घ)   |                     |                      |         |
|         | योग (क+ख+ग+घ)  |                     |                      |         |

(\*) आईएनआर + एफई को आईएनआर में परिवर्तित।

टिप्पणी: अनुमान और गणना का ब्यौरा मद घ के लिए दिया जाए।



**अनुलग्नक 1 (क)**  
[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

1. सिटी गैस स्टेशन की पूंजी लागत

| क्र.सं. | विवरण                                     | आईएनआर | एफई | योग (*) | तकनीकी विविधियाँ                |
|---------|---|--------|-----|---------|---------------------------------|
| क       | भूमि                                      |        |     |         |                                 |
| 1       | भूमि की लागत (केवल सीजीएस की साइट के लिए) |        |     |         | क्षेत्र वर्ग मीटर और दर में है। |
|         | उप-योग                                    |        |     |         |                                 |
| ख       | सिटी गैस स्टेशन                           |        |     |         |                                 |
| 1       | यांत्रिक                                  |        |     |         |                                 |
| 2       | इंस्ट्रुमेंटेशन                           |        |     |         |                                 |
| 3       | इलेक्ट्रिकल                               |        |     |         |                                 |
| 4       | अग्निशामक प्रणाली                         |        |     |         |                                 |
| 5       | अन्य कोई मद (ब्यौरा दिया जाए)             |        |     |         |                                 |
|         | उप-योग                                    |        |     |         |                                 |
| ग       | पंजीगत स्पेयर्स (ब्यौरा दिया जाए)         |        |     |         |                                 |
|         | उप-योग                                    |        |     |         |                                 |
| घ       | उत्थापन                                   |        |     |         |                                 |
| 1       | यांत्रिक                                  |        |     |         |                                 |
| 2       | इलेक्ट्रिकल                               |        |     |         |                                 |
| 3       | इंस्ट्रुमेंटेशन                           |        |     |         |                                 |
| 4       | सिविल कार्य                               |        |     |         |                                 |
| 5       | भूमि                                      |        |     |         |                                 |
| 6       | अन्य कोई मद (ब्यौरा दिया जाए)             |        |     |         |                                 |
|         | उप-योग                                    |        |     |         |                                 |
| ड       | कर और शुल्क                               |        |     |         |                                 |
| 1       | समुद्रो भाड़ा                             |        |     |         |                                 |
| 2       | सीमा शुल्क                                |        |     |         |                                 |
| 3       | बंदरगाह हंडलिंग                           |        |     |         |                                 |
| 4       | अंतरदेशीय भाड़ा                           |        |     |         |                                 |
| 5       | उत्पाद और सीएसटी                          |        |     |         |                                 |
| 6       | कार्य निधिदा कर                           |        |     |         |                                 |
| 7       | बीमा                                      |        |     |         |                                 |
| 8       | अन्य कोई लागत (ब्यौरा दिया जाए)           |        |     |         |                                 |
|         | उप-योग                                    |        |     |         |                                 |
|         | योग (क से ड)                              |        |     |         |                                 |

(\* ) आईएनआर + एफई को आईएनआर में परिवर्तित।

**संलग्नक 1 (ख)**  
[यिनियम 5 का उप-यिनियम (1) देखें]

2. सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंपेशरों की पूंजीगत लागत

| क्र.सं. | विवरण                              | आईएनआर | एफई | योग (*) | तकनीकी विधिष्टियां |
|---------|------------------------------------|--------|-----|---------|--------------------|
| क       | ऑन-लाइन कंपेशर और संबंधित सुविधाएं |        |     |         |                    |
| 1       | ऑनलाइन कंपेशर                      |        |     |         |                    |
| 2       | डीजी सेट और नियंत्रण पैनल          |        |     |         |                    |
| 3       | अग्निशामक प्रणाली                  |        |     |         |                    |
| 4       | मोटर स्किड                         |        |     |         |                    |
| 5       | यूपीएस या बैटरी बैंक               |        |     |         |                    |
| 6       | विविध                              |        |     |         |                    |
| 7       | अन्य कोई मद (द्वारा दिया जाए)      |        |     |         |                    |
|         | <b>उप-योग</b>                      |        |     |         |                    |
| ग       | पूंजीगत स्पेयर्स (द्वारा दिया जाए) |        |     |         |                    |
| घ       | उत्थापन                            |        |     |         |                    |
| 1       | यांत्रिक                           |        |     |         |                    |
| 2       | इलेक्ट्रिकल                        |        |     |         |                    |
| 3       | इन्स्ट्रुमेंटेशन                   |        |     |         |                    |
| 4       | सिविल कार्य                        |        |     |         |                    |
| 5       | भूमि                               |        |     |         |                    |
|         | अन्य कोई मद (द्वारा दिया जाए)      |        |     |         |                    |
|         | <b>उप-योग</b>                      |        |     |         |                    |
| ड.      | कर और शुल्क                        |        |     |         |                    |
| 1       | समुद्री भाड़ा                      |        |     |         |                    |
| 2       | सीमा शुल्क                         |        |     |         |                    |
| 3       | बंदरगाह हैंडलिंग                   |        |     |         |                    |
| 4       | अंतरदेशीय भाड़ा                    |        |     |         |                    |
| 5       | उत्पाद और सीएसटी                   |        |     |         |                    |
| 6       | कार्य निविदा कर                    |        |     |         |                    |
| 7       | बीमा                               |        |     |         |                    |
| 8       | अन्य कोई लागत (द्वारा दिया जाए)    |        |     |         |                    |
|         | <b>उप-योग</b>                      |        |     |         |                    |
|         | <b>योग (क से ड)</b>                |        |     |         |                    |

(\*) आईएनआर + एफई को आईएनआर में परिवर्तित।

टिप्पणी :

- विचारार्थ कंपेशर सुविधाओं में इनस्टॉल वाल्व से डिस्चार्ज फ्लैज तक के बीच ऑनलाइन कंपेशर और उपकरण शामिल होंगे।
- सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंपेशर के डिस्चार्ज वाल्व के बाद की सुविधाएं, सीएनजी स्टोशनों में बूस्टर कंपेशर तथा सीएनजी के लिए कंपेशर प्रसार के निर्धारण में निर्दिष्ट पूंजी पर प्रतिलाभ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सीएनजी के लिए कंपेशर प्रसार के निर्धारण में निर्दिष्ट पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए उपयुक्त लागत पर विचार किया जाना है।

**संलग्नक 1 (ग)**  
[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

**3. सिटी गैस वितरण की पूंजी लागत**

| क्र.सं.  | सुविधाओं का विवरण                         | आईएनआर | एफई | योग (*) | तकनीकी विशिष्टियाँ |
|----------|---|--------|-----|---------|--------------------|
| <b>क</b> | <b>उपकरण</b>                              |        |     |         |                    |
| 1        | पाइप एमडीपीई                              |        |     |         |                    |
| 2        | पाइप एचडीपीई                              |        |     |         |                    |
| 3        | स्टील पाइप - मुख्य ग्रीड पीई कोटेड        |        |     |         |                    |
| 4        | कैथोडिक सुरक्षा                           |        |     |         |                    |
| 5        | एससीएडीए                                  |        |     |         |                    |
| 6        | ओएफसी, दूरसंचार और दूर-पर्यवेक्षी प्रणाली |        |     |         |                    |
| 7        | घेतावनी गिड टेप                           |        |     |         |                    |
| 8        | यूनिट को सुवासित बनाना                    |        |     |         |                    |
| 9        | एमडीपीई वाल्व, फिटिंग, अंतरण फिटिंग       |        |     |         |                    |
| 10       | डीआरएस                                    |        |     |         |                    |
| 11       | टीसीपी/पीसीपी                             |        |     |         |                    |
| 12       | पंजी स्टोर (ब्यौरा दे)                    |        |     |         |                    |
| 13       | अन्य कोई मद (ब्यौरा दिया जाए)             |        |     |         |                    |
|          | उप-योग                                    |        |     |         |                    |
| <b>ख</b> | <b>उत्थापन</b>                            |        |     |         |                    |
| 1        | यांत्रिक                                  |        |     |         |                    |
| 2        | इलेक्ट्रिकल                               |        |     |         |                    |
| 3        | इंस्ट्रुमेंटेशन                           |        |     |         |                    |
| 4        | सिविल कार्य                               |        |     |         |                    |
| 5        | भूमि                                      |        |     |         |                    |
| 6        | अन्य कोई मद (ब्यौरा दिया जाए)             |        |     |         |                    |
|          | उप-योग                                    |        |     |         |                    |
| <b>ग</b> | <b>कर और शुल्क</b>                        |        |     |         |                    |
| 1        | समूची भाड़ा                               |        |     |         |                    |
| 2        | सीमा शुल्क                                |        |     |         |                    |
| 3        | बंदरगाह हैंडलिंग                          |        |     |         |                    |
| 4        | अंतरदेशीय भाड़ा                           |        |     |         |                    |
| 5        | उत्पाद और सीएसटी                          |        |     |         |                    |
| 6        | कार्य निविदा कर                           |        |     |         |                    |
| 7        | बीमा                                      |        |     |         |                    |
| 8        | अन्य कोई लागत (ब्यौरा दिया जाए)           |        |     |         |                    |
|          | उप-योग                                    |        |     |         |                    |
|          | <b>योग (क+ख+ग)</b>                        |        |     |         |                    |

(\* ) आईएनआर + एफई को आईएनआर में परिवर्तित।

टिप्पणी :

- पाइपलाइनों में प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी के ऑनलाइन कंप्रेसर के पारदर्शन की पाइपलाइनें शामिल हैं।

**अनुलग्नक 1 (घ)**  
[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

**अनुमानित लाभ और हानि खाता**

| क्र. सं. | विवरण   | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 | वर्ष 25 |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | कुल अंतर प्रवाह   |        |        |        |        |        |         |
| a        | - नेटवर्क शुल्क से राजस्व (पीआईआरआर पर आधारित)  |        |        |        |        |        |         |
| b        | - सीएनजी के लिए कंपेशन प्रभार से राजस्व (पीआईआरआर पर आधारित)                                |        |        |        |        |        |         |
| 2        | कुल प्रचालन लागत बहिर्गमन (*) घ   |        |        |        |        |        |         |
| क        | उपभोग्य और रसायन  |        |        |        |        |        |         |
| ख        | उपयोगिताएं - (विजली, ईंधन)  |        |        |        |        |        |         |
| ग        | वेतन  |        |        |        |        |        |         |
| घ        | भरभर और अनुरक्षण  |        |        |        |        |        |         |
| ङ        | सामान्य प्रशासन व्यय  |        |        |        |        |        |         |
| च        | बैंक प्रभार (प्राधिकार प्रदान करने के अनुसार बोलो बंधपत्र और निष्पादन बंधपत्र सहित)         |        |        |        |        |        |         |
| छ        | अन्य व्यय (अशोध्य-व्रण को छोड़कर) (ब्यौरा दिया जाए)   |        |        |        |        |        |         |
| ज        | सीमा (लाइन पैक मात्रा सहित)   |        |        |        |        |        |         |
| 3        | मूल्यहास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) (1 - 2)                                     |        |        |        |        |        |         |
| 4        | उपर्युक्त व्यय के लिए कार्य पूजा आवश्यकता में प्रयुक्त सीमा का कार्यशील पूजा उधार (दर सहित) |        |        |        |        |        |         |
| 5        | आवधिक ऋणों पर ब्याज (दर सहित)   |        |        |        |        |        |         |
| 6        | मूल्यहास और कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) (3 - 4 - 5)   |        |        |        |        |        |         |
| 7        | मूल्यहास (एसएलएम आधार पर) और विविध व्यय को बटटे खाते में डालना (प्रत्येक कर ब्यौरा दे)      |        |        |        |        |        |         |
| 8        | कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (6-7)   |        |        |        |        |        |         |
| 9        | कर प्रावधान (लागू आईटी नियमों के अनुसार उपलब्ध कराए)  |        |        |        |        |        |         |
| 10       | कर उपरांत लाभ (पीएटी) (8 - 9)   |        |        |        |        |        |         |
|          | प्रचालन से नकद (सीएफओ) (10+7) - नकद प्रवाह पत्र को अंतरित किया जाए                          |        |        |        |        |        |         |

(\*) सभी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और आर्बिट्रि साभान्य लागत औनलाइन कंपेशर में प्राकृतिक गैस के कंपेशन के बाद सबद्ध लागत। वित्तीय लागत और बिक्री व्यय को छोड़कर।  
टिप्पणियाँ

- नेटवर्क शुल्क सभी उपभोक्ताओं (पीआईआरआर, जिस स्तर पर नेट परियोजना की मितव्ययी लागत पर निवल बहिर्गमन के समान निवलअंतरप्रवाह होता है, पर विचार करके अपनाई गई डीसीएफ पद्धति द्वारा निर्धारित अनुसार प्राकृतिक गैस से सीएनजी में बदलने के लिए पाइपलाइन से औनलाइन कंपेशरों को आपूर्ति) के लिए पाइपलाइनों में परियहन की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा पर आधारित होगा।
- सीएनजी के लिए कंपेशन प्रभार पीआईआरआर, जिस स्तर पर नेट परियोजना की मितव्ययी लागत पर निवल बहिर्गमन के समान निवल अंतरप्रवाह होता है, पर विचार करके अपनाई गई डीसीएफ पद्धति द्वारा निर्धारित अनुसार प्राकृतिक गैस से सीएनजी में बदलने के लिए पाइपलाइन से औनलाइन कंपेशरों को आपूर्ति पर आधारित होगा।
- विस्तार/बढ़ाने के लिए - परियोजना उपरांत विस्तार या बढ़ाने के लिए लागू अनुसार समान अंकड़े।
- औनलाइन कंपेशरों की साइट के लिए भूमि किराया या भूमि पट्टे पर देने के प्रभारों को निवेशित पूजा या प्रचालन लागत, जैसी भी स्थिति है, पर प्रतिलाभ के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- गैर-प्रचालन आय (जैसे पीएनजी धरेलू ग्राहकों से ब्याजमुक्त प्रतिदेय सुरक्षा जमा पर ब्याज) को परियोजना के अंतरप्रवाह के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
- ओडेट लाभ, यदि उपलब्ध है, को गणना के साथ अलग से दर्शाया जाना चाहिए।
- लेखा-परीक्षित लाभ और हानि खाते की प्रति, जहां-कहीं लागू हो, संलग्न की जाए।

संलग्नक 1 (ड.)  
[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

नकद प्रवाह विवरण

| क्र.सं. | वर्ष | निर्माण अवधि   | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | रूप    |         |
|---------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         |      |  |        |        |        |        | वर्ष 1 | वर्ष 25 |
| 1       | क    | निधियों का स्रोत   |        |        |        |        |        |         |
|         | ख    | इक्विटी/अधिमान इक्विटी (*)   |        |        |        |        |        |         |
|         | ग    | आवधिक ऋण/अल्पावधि ऋण   |        |        |        |        |        |         |
|         | घ    | प्रचालनों से नकद   |        |        |        |        |        |         |
|         | ड.   | कार्यशील पूंजी के लिए बैंक उधार<br>अन्य (कृपया उल्लेख करें)                |        |        |        |        |        |         |
| 2       | क    | निधियों का उपयोग   |        |        |        |        |        |         |
|         | ख    | पूजी व्यय  |        |        |        |        |        |         |
|         | ग    | सामान्य/अतिरिक्त पूंजी व्यय  |        |        |        |        |        |         |
|         | घ    | निवल कार्य पूंजी में वृद्धि/(कमी)  |        |        |        |        |        |         |
|         | ड.   | ऋणों की अदायगी   |        |        |        |        |        |         |
|         | छ    | इक्विटी धारकों को लाभांश<br>वितरण योग्य पर लाभ<br>अन्य (कृपया उल्लेख करें) |        |        |        |        |        |         |
| 3       | क    | नकद अधिशेष/(घाटा)  |        |        |        |        |        |         |
|         | ख    | मुक्त नकद बकाया  |        |        |        |        |        |         |
|         | ख    | अंतिम नकद बकाया  |        |        |        |        |        |         |

(\*) चुकाई जाने वाली राशि का ब्यौरा दिया जाए।

**संलग्नक 1 (च)**  
[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

अनुमानित तुलन-पत्रक

| वर्ष                         | निर्माण अवधि | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 | रूप     |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| परिसंपत्तियाँ                |              |        |        |        |        |        | वर्ष 25 |
| सकल निर्धारित परिसंपत्तियाँ  |              |        |        |        |        |        |         |
| घटा : संचित मूल्यहास (*)     |              |        |        |        |        |        |         |
| निवल नियत परिसंपत्तियाँ      |              |        |        |        |        |        |         |
| निवल चालू परिसंपत्तियाँ      |              |        |        |        |        |        |         |
| नकद और बैंक                  |              |        |        |        |        |        |         |
| निवेश                        |              |        |        |        |        |        |         |
| विविध नियत परिसंपत्तियाँ     |              |        |        |        |        |        |         |
| आस्थगित राजस्व व्यय          |              |        |        |        |        |        |         |
| अन्य (कृपया उल्लेख करें)     |              |        |        |        |        |        |         |
| देनदारियाँ                   |              |        |        |        |        |        |         |
| निवल मूल्य                   |              |        |        |        |        |        |         |
| इक्विटी पूंजी                |              |        |        |        |        |        |         |
| अधिमान शेयर पूंजी (**)       |              |        |        |        |        |        |         |
| रिजर्व                       |              |        |        |        |        |        |         |
| ऋण                           |              |        |        |        |        |        |         |
| रूपर आवधिक ऋण                |              |        |        |        |        |        |         |
| एफसी आवधिक ऋण                |              |        |        |        |        |        |         |
| कार्य पूंजी के लिए बैंक उधार |              |        |        |        |        |        |         |
| अन्य (कृपया उल्लेख करें)     |              |        |        |        |        |        |         |

(\*) एसएलएम आधार पर परिसंपत्ति शीर्ष-वार मूल्यहास गणना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(\*\*) अदेय की सीमा तक। देय अधिमान पूंजी ऋण के अंतर्गत दर्शाई जानी चाहिए।

टिप्पणी

क) जहाँ-कहीं लागू हो लेखा-परीक्षित तुलन-पत्रक संलग्न किया जाना चाहिए।

संलग्नक 1 (च)  
विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें।

नेटवर्क शुल्क गणना

| वर्ष  | निर्माण अवधि | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 25 |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| क) प्रौद्योगिक और प्रचालन लागत वरिगमन (अर्जेंट एनसुरि सॉल्यूशन)<br>अन्तर्वारि (इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्याज और कर पूर्व लाभ - पीएडएल वाले की मदद संख्या 3 के अनुसार)<br>निवल अन्तर्वारि/(वरिगमन) |              |        |        |        |        |         |
| संयोजी अन्तर्वारि/(वरिगमन)  |              |        |        |        |        |         |
| प्रत्येक वर्ष के लिए नेटवर्क शुल्क की गणना अनुसूची क के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनुसार परिवर्तना के प्रतिपालन की आंतरिक दर के इसमें सुविधासंगत दर पर आधारित होती है।                         |              |        |        |        |        |         |

सौचिकनी गणना के लिए विनियम 5 के अनुसार

| वर्ष   | निर्माण अवधि | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 25 |
|--|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| क) प्रौद्योगिक और प्रचालन लागत वरिगमन (मॉडेल शतपचाशि सॉल्यूशन)<br>अन्तर्वारि (इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्याज और कर पूर्व लाभ - पीएडएल वाले की मदद संख्या 3 के अनुसार)<br>निवल अन्तर्वारि/(वरिगमन) |              |        |        |        |        |         |
| संयोजी अन्तर्वारि/(वरिगमन)   |              |        |        |        |        |         |
| प्रत्येक वर्ष के लिए नेटवर्क शुल्क की गणना अनुसूची क के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनुसार परिवर्तना के प्रतिपालन की आंतरिक दर के इसमें सुविधासंगत दर पर आधारित होती है।                        |              |        |        |        |        |         |

**अनुलग्नक 1 (ज)**

[ विनियम 5 के उप-विनियम (1) देखें ]

गणना में लगाए गए अनुमान का ब्यौरा

1. पूंजीगत लागत की गणना के लिए प्रयुक्त विनियम दर
2. वार्षिक प्रचालन लागत का प्रपत्र

| क्र.सं. | लागत तत्वों का विवरण              | रूप         |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| क       | परिवर्तनीय लागत                   |             |
| 1       | उपभोज्य                           |             |
|         | क) ईंधन (मात्रा और दर)            |             |
| 2       | उपयोगिताए (मात्रा और दर)          |             |
|         | क) विद्युत (*)                    |             |
|         | ख) पानी                           |             |
|         | अन्य कोई मद (ब्यौरा दिया जाए)     |             |
|         |                                   | उप-योग      |
| ख       | निर्धारित/अर्द्ध परिवर्तनीय लागत  |             |
| 1       | वेतन और मजदूरी                    |             |
| 2       | सामान्य प्रशासन                   |             |
| 3       | मरम्मत और अनुरक्षण                |             |
| 4       | अन्य कोई मद (ब्यौरा दिया जाए) (€) |             |
|         |                                   | उप-योग      |
| ग       | बीमा (%)                          |             |
|         |                                   | योग (क+ख+ग) |

- (\*) क्रय बिजली (नियत प्रभार और परिवर्तनीय प्रभार के लिए) तथा निजी जनरेशन का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।  
 (\$) इलेक्ट्रिकल, सिविल, यांत्रिक, आदि के नेमी और कारोबार तथा कार्य-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।  
 (€) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रशासनिक व्यय (उपलब्ध कराए जाने वाले आबंटन के आधार सहित)।  
 (%) लाभ की हानि, सुविधाओं और लाइन-पैक मात्रा का प्रथम दृष्टया ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

**टिप्पणी**

- क प्रचालन लागत की प्रत्येक मद के लिए विस्तृत अनुमान और गणना की प्रत्येक मद संलग्न की जाए।  
 ख ग्राहकों (सीएनजी और पीएनजी - आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक) की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागत का आबंटन/प्रभाजन का आधार दें।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिए व्यय के ब्यौरे सहित परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची दी जाए।
  - 4 प्रत्येक प्रकार के ऋण, ब्याज दरों, अदायगी, आदि के लिए अनुसूची उपलब्ध कराई जाए।
  - 5 कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम की अनुसूची-VI के अनुसार मूल्यह्रास की लागू दरें उपलब्ध कराई जाएं।
  - 6 सीजीडी नेटवर्क में प्रकार/वर्ग पर आधारित पाइपलाइन लम्बाई।
  - 7 स्टील पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता तथा सीएनजी के ऑनलाइन कंप्रेसरों की दर-योग्य क्षमता उपलब्ध कराई जाए।
  - 8 स्टील बैल्टिंग पाइपलाइन का क्षमता उपयोग तथा आधार सहित सीएनजी के ऑनलाइन कंप्रेसरों को उपलब्ध कराया जाए।
  - 9 परियोजना की कार्यान्वयन अवधि चरणों में दर्शाई जाए।
  - 10 परियोजना की मितव्ययी लागत
  - 11 आयकर की लागू दर



[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

- 12 सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइनों में परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा का ब्यौरा (परिवर्तन कारकों के आधार पर एससीएम या कि.ग्रा. में लागू अनुसार)

|                    | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | ----- | वर्ष 25 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| सीएनजी             |        |        |        |        |       |         |
| पीएनजी - आयातीय    |        |        |        |        |       |         |
| पीएनजी - वाणिज्यिक |        |        |        |        |       |         |
| पीएनजी - औद्योगिक  |        |        |        |        |       |         |
| योग                |        |        |        |        |       |         |

टिप्पणी:

क) ग्राहकों के विभिन्न खण्डों की विकास दरें

ख) मूल वर्ष मात्रा और अनुमानित विकास दरों के लिए विस्तृत टिप्पणी।

ग) प्राकृतिक गैस की मात्रा के समकक्ष कैलोरोफिक के निर्धारण के लिए अपनाए गए कारक उपलब्ध कराए जाएं।

- 13 नीचे दर्शाए अनुसार पाइपलाइन शुल्क का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

|   | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | ----- | वर्ष 25 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 1 सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार रुपए/कि.ग्रा. में (*) |        |        |        |        |       |         |
| 2 समग्र इकाई नेटवर्क शुल्क रुपए/एमएमबीटीयू में (\$)   |        |        |        |        |       |         |

(\$) पाइपलाइन द्वारा सीएनजी में कंप्रेशन के लिए ऑनलाइन कंप्रेसरों को पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए विचार करना।

(\*) सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसरों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सहित सभी उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति करने पर विचार करना।

- 14 विधियत मूल्यांकित/अनुमोदित विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट की प्रलि को संलग्न किया जाए। नेटवर्क शुल्क की गणना में अपनाए गए मानदण्डों और/या डीएफआर में अपनाए गए आधार पर सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार में किसी अंतर को स्पष्ट किया जाए।

[फा. सं. एस-एडीएमएन/11/8/2007-वॉल्यूम-I]

अजय त्यागी, सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2008

**G.S.R. 197(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

**1. Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "appointed day" means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

- (c) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
  - (d) "City Gate Station" means the point where custody transfer of natural gas from natural gas pipeline to the city or local natural gas distribution network (hereinafter referred as CGD Network) takes place;
  - (e) "compression charge for CNG" means a charge (excluding statutory taxes and levies) in Rs./ Kg for online compression of natural gas into compressed natural gas (hereinafter referred to as CNG) for subsequent dispensing to consumers in a CNG station;
  - (f) "Development of a CGD network" means laying, building, operating or expanding a CGD network;
  - (g) "Network tariff" means the weighted average unit rate of tariff (excluding statutory taxes and levies) in rupees per million British Thermal Units (Rs./ MMBTU) for all the categories of consumers of natural gas in a CGD Network;
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

### 3. Application.

- (1) These regulations shall apply to an entity -
  - (a) authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding CGD network before the appointed day.

(b) laying, building, operating or expanding CGD network before the appointed day and authorized by the Board for such activities under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

**4. Determination of network tariff and compression charge for CNG.**

The network tariff and compression charge for CNG in respect of an entity covered clause (a) or clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be determined as per the procedure at Schedule A.

**5. Form for data submission for determination of network tariff and compression charge for CNG.**

(1) An entity is obligated to submit to the Board the financial, cost and other data in the form at Attachment 1 of Schedule A:

(a) The information referred to in sub-regulation (1) shall be submitted by an entity referred to in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 within thirty days of the notification of these regulations;

(b) The information referred to in sub-regulation (1) shall be submitted by an entity referred to in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 3 alongwith the application seeking grant of authorization under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

**6. Miscellaneous.**

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

## Schedule A

[see regulations 3 and 4]

Procedure for determination of network tariff and compression charge for CNG

The network tariff and compression charge for CNG in a CGD network shall be determined by considering a reasonable rate of return on normative level of capital employed plus a normative level of operating expenses in the CGD network.

**1. Financial feasibility.**

The entity to which these regulations apply shall submit all technical, operating, financial and cost data of the CGD network or CGD network project that may be required by the Board for determination of the network tariff and compression charge for CNG.

**2. Methodology for determination of network tariff and compression charge for CNG.**

The unit rates of network tariff and the compression charge for CNG to be charged for a period shall be the calculation based on the "Discounted Cash Flow" (DCF) methodology<sup>1</sup> considering the reasonable rate of return as the project's internal rate of return as specified in clause 3. The parameters relevant to the

---

<sup>1</sup> Discounted Cash Flow refers to equating the inflows from the projected revenue earnings out of network tariff and compression charge for CNG with the outflows of capital and operating expenditures over the economic life of the project by discounting these flows at the reasonable rate of return. The volumes and outflows are estimated over the economic life which results in the determination of the network tariffs and compression charge for CNG required to be earned by the project to achieving the reasonable rate of return.

applicability of the DCF methodology have been described in detail in clause 4 to clause 6.

### **3. Reasonable rate of return.**

The reasonable rate of return shall be the rate of return on capital employed equal to fourteen percent post-tax considering the rate of return on long-term risk-free Government securities and the need to incentivize investments in creation of CGD infrastructure. The rate of return on capital employed once applied to a CGD network shall remain fixed for the entire economic life of the project.

Note:

The pre-tax rate of return on capital employed shall be computed by grossing-up fourteen percent by the nominal applicable rate of income tax applicable for corporate assesses as per the provisions of the Income Tax, 1961.

### **4. Return on total capital employed for network tariff and compression charge for CNG.**

(1) The return on total capital employed shall be determined separately for the capital employed in -

- (a) the common infrastructure in the CGD network (i.e., consisting of the pipeline from the tap-off point in the natural gas pipeline up to the city gate station, if any, city gate station, city gate distribution network consisting of pipelines, district regulatory station and distribution related equipments and facilities, but excluding CNG compression and dispensation related equipments and facilities) as specified in clause a)

and clause (c) of Attachment 1 of Schedule A for determination of the network tariff.

(b) online compressors and related facilities as specified in clause (b) of Attachment 1 of Schedule A, used for compression of natural gas into CNG for dispensation in the CNG stations in the CGD network for determination of the compression charge for CNG. Land for online compressor and all equipments and facilities beyond the discharge valve of the online compressor for CNG are related to the activity of dispensing of CNG and hence not to be considered for return on capital employed.

(2) The reasonable rate of return shall be applied on the total capital employed to determine the return on total capital employed in the project over its economic life and the authorized entity is free to leverage the financing of the project in any suitable manner.

(3) The total capital employed shall be equal to the Gross Fixed Assets in the project less accumulated depreciation & plus normative Working Capital (equal to twenty days of operating cost excluding depreciation).

(4) The Gross Fixed Assets shall be valued to their actual historical cost of acquisition (including the cost of any subsequent replacement or improvement or modification), or that normatively assessed by the Board, whichever is lower, as required in the CGD network or CGD network project over its economic life as per the following basis and principles<sup>3</sup> that may be

<sup>2</sup> Depreciation shall be calculated by applying the rates of depreciation as specified in Schedule VI to the Companies Act, 1956 on the value of Gross Fixed Asset.

<sup>3</sup> The basis and principles identified here are not exhaustive and may vary depending upon the specific CGD network or CGD network project under consideration which the Board may apply in a transparent manner.

considered as required to create an efficient and robust CGD infrastructure, namely:-

- (a) treatment of an investment in the fixed asset in the determination of total return on capital employed shall be as per the basis indicated in Attachment 2;
- (b) capital costs in similar projects elsewhere in India benchmarked on a "like-to-like" basis;
- (c) appropriateness of the pipeline design and the operating philosophy with regards to maximum allowable operating pressure;
- (d) optimization of the equipments and facilities (online compressors for CNG compressors, metering systems, SCADA, fire fighting, etc.) required based on an assessment of the appropriate available technology;
- (e) design parameters of the equipments, like, online compressors for CNG;
- (f) assessment of the latest costs of major equipments in the CGD network - pipelines, online compressors, laying or building costs, project management consultancy, pre-operative expenditure, etc;
- (g) treatment of costs incurred in providing last mile connectivity (LMC, i.e., between the riser isolation valve before the metering unit and the Suraksha hose pipe connecting the burner in the domestic PNG customer's premises) in the return on capital employed for network tariff shall be as per the procedure indicated in Attachment 3.



## 5. Operating costs.

Operating costs <sup>4</sup> required in the operation and maintenance of -

- 1) common infrastructure in the CGD network; and
- 2) online compressor facilities for compressing natural gas in to CNG

shall be computed separately for sub-clause 1) in the determination of network tariff and for sub-clause clause 2) in the determination of compression charge for CNG over the economic life, on an actual basis or based on a normative assessment by the Board, whichever is lower, over the following functional cost head, namely:-

- (i) consumables;
- (ii) utilities (power, fuel and water);
- (iii) salaries and wages;
- (iv) repairs and maintenance;
- (v) insurance premia on fixed assets (excluding on the value of loss of profit) and on line-pack volume;

---

<sup>4</sup> Operating costs are those which are necessary for a proper upkeep and maintenance of a tangible asset created for operation of the CGD network (including online compressors for CNG) and does not include any financial cost, like, interest on loans, bad-debts, , expenditure incurred in raising or servicing of capital/ debenture/ bond/ debt, exchange variation on revenue account, sales promotion expenses, advertisement expenses (except for inviting tenders), but includes normal bank charges, bank guarantee charges, LC charges, application fee and bank charges for bid bond and performance bond required as per the terms of authorization.

- (vi) administrative overheads (to the extent not classifiable under sub-clause (i) to (v), related and also commensurate to the level of operations in the CGD network);
- (vii) depreciation on fixed assets based on the rates as per Schedule VI to the Companies Act, 1956;
- (viii) miscellaneous income (realizable from a fixed asset included in the return on total capital employed or out of an expense considered as an operating cost, but does not include interest income, profit or loss on sale or transfer of any fixed or other asset), if any, shall be netted from the operating cost.

Note:

Since the cost of land for siting the online compressor is not considered in the determination of the total return on capital employed for compression charge for CNG, any land rentals or land lease charges for siting the online compression facilities shall not be considered as an operating cost for the determination of the compression charge for CNG.

**6. Volumes to be considered in determination of unit network tariff and unit compression charge for CNG.**

The volume to be used as divisor for the purpose of determination (including for subsequent review periods) of the yearly unit network tariff and unit compression charge for CNG shall be equal to -

- a) the actual volume of natural gas (including the volume of natural gas transported by pipeline till the online compressor for CNG) transported in the CGD network; and

b) actual volume of natural gas compressed as CNG.

**Note:**

Adjustment for the volume correction required due to actual volumes in a review period being different than that considered in the divisor in the determination of unit network tariff or compression charge for CNG shall be carried out on a prospective basis in the next review period.

**7. Economic life.**

The economic life of the project for the purpose of determination of network tariff and compression charge for CNG shall be as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

**8. Review of network tariff and compression charge for CNG.**

- a) review of network tariff and compression charge for CNG shall be carried out separately during each review period;
- b) review period shall normally be a period of five years (commencing from 1st of April and ending on 31st March of next year) from the end of the fifth year of the economic life of the project;
- c) the actual performance with respect to the capital and operating costs during the previous review period shall be monitored against the parameters identified under clauses 4 and 5 and the variations shall be adjusted in the

calculations on a prospective basis considering the remaining period of the economic life of the CGD project;

- d) The Board may, either on its own or on the entity's request, carry out review in between two tariff review periods, considering-
- i) mandatory conversion of vehicles using MS, HSD or any other fuel into CNG fuel to the extent not envisaged earlier and necessitating incremental investments;
  - ii) changes in the applicable nominal rate of income tax used for grossing-up the rate of return on capital employed;
  - iii) sudden change in any parameter used in the determination of the network tariff or the compressed charge for CNG;

Attachment 2 to Schedule A  
[see clause 4 (4) (a) of the Schedule]

**Definition of a fixed asset and treatment in the determination of return on total capital employed for network tariff and compression charge for CNG**

---

The basis of considering fixed assets in a CGD network (including online compressors and related equipments) in the determination of the return on total capital employed shall be as per the following norms:-

- 1) A fixed asset in a CGD network is a tangible asset having a useful operating life of more than one year and is integral to the generation of revenues through network tariff and compression charge for CNG. Investment in securities, goodwill, current assets, accumulated loss not written-off, work-in-progress, etc. are not fixed assets.
- 2) Any change in the historical cost of the fixed asset due to revaluation or capitalization of losses shall not be considered. However, cost incurred in improvements, modification or replacement of any fixed asset shall be considered in line with the treatment prescribed in the mandatory accounting standards of The Institute of Chartered Accountants of India.
- 3) Cost of land purchased and used for putting the facilities essential to the CGD network (including CGS) shall only be considered. Land for siting Online CNG Compressors will not be considered. Land purchased for any future use (such as for CGD expansion requirements) shall be considered only when used.
- 4) Fixed asset declared as commissioned but not deployed in operations of the CGD network shall not be considered.

- 5) Any change in the value of the fixed asset due to capitalization of interest on loan (including foreign exchange variation in case of any loan in any foreign currency) during the pre-commissioning phase of the fixed asset shall be considered provided such loan was utilized for creation of the said fixed asset only.
- 6) A fixed asset shall be considered for return on capital employed on a "rolling basis" till the end of the economic life of the CGD project, provided it is not de-commissioned on reaching 95% of its original cost. In the terminal year of the economic life, the depreciated value of the asset shall be treated as a project inflow in the DCF calculations for network tariff and compression charge for CNG.
- 7) Treatment of line-pack volume in pipelines in a CGD network shall be as per the procedure indicated below:-
  - a) Assessment of the volume of natural gas required as Line pack in the pipelines as and when commissioned in the CGD network shall be as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards.
  - b) The line pack value of natural gas in pipelines in a CGD network shall be considered as a non-depreciating fixed asset and included in the total capital employed for network tariff and shall remain fixed over the economic life of the project.
  - c) The value of the line-pack volume shall be derived by multiplying the volume of line-pack by the average cost of natural gas at the CGS station at the time of commissioning of the pipelines in the CGD network.
  - d) The salvage value of the line pack at the end of the economic life of the project shall be equal to its value initially assessed and shall be considered as a project inflow.

## Attachment 3 to Schedule A

[see regulation 3 (2) and clause 4 (4) (g) of the Schedule]

Treatment of costs incurred in last mile connectivity (LMC) in the determination of total return on capital employed for network tariff

1. In respect of an entity covered either under regulation 3 (1) (a) or under regulation 3 (1) (b),

a) the new PNG domestic consumers to be connected by the entity post-authorization shall not be required to pay the LMC charges upfront and in such a case, the related facilities and equipment shall be the property of the entity and eligible for return on total capital employed;

b) if such entity has already provided connectivity to some domestic PNG customers and upfront collected the LMC charges, the facilities and equipments, like, regulator, meter, pipe, valves, etc. shall be the property of the domestic consumer:

Provided that in case the actual cost of providing last mile connectivity to a PNG domestic customer exceeds the amount collected upfront by the entity from the PNG domestic customer, then the balance amount (that is, the difference between the actual cost of providing last mile connectivity and the amount so collected from the domestic PNG customer) shall be considered for return on total capital employed;

c) in order to allow differentiation in the treatment of PNG domestic customers, the network tariff shall be split over the following charge elements, namely:-

i) network tariff charge for the common CGD infrastructure before the pipe connecting the metering unit;

- ii) charge towards last mile connectivity, that is, equipments and facilities from the pipe connecting the metering unit and onwards upto and including the suraksha hose pipe connecting the burner;
  - d) domestic PNG customers who have paid the LMC charge upfront shall be required to pay only the network tariff charge for the common infrastructure specified at item i) of sub-clause c). Other domestic PNG customers shall be required to pay both the charges [that is, for the common infrastructure mentioned at item i) of sub-clause c) and for the LMC charges mentioned at item ii) of sub-clause c)] through the network tariff, in addition to paying the interest-free refundable security deposit of up to a maximum of Rs.5,000.
2. Entity may collect refundable interest free security deposit as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities for Laying, Building, Operating or Expanding City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. Such deposit is towards the safe-keeping of the meter and is to be refunded in full to the domestic PNG customer in case of a dis-connection. Further, since the amount collected as interest-free refundable security deposit shall exist as a liability in the books of accounts of the entity, the same shall not be reduced from the total capital employed while determining the network tariff.



**Attachment 1**

[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**PROJECT CAPITAL COST SUMMARY (CAPEX OUTFLOWS)**

| Sr. No.  | Description   | INR           | FE               | Total (*) |
|----------|---|---------------|------------------|-----------|
|          |   | Indian Rupees | Foreign Exchange |           |
| <b>A</b> | <b>Plant &amp; Machinery</b>  |               |                  |           |
| 1        | City Gate Station [see Attachment 1 (a)]  |               |                  |           |
| 2        | Online Compressors [as per Attachment 1 b)]   |               |                  |           |
| 3        | City Gas Distribution [as per Attachment 1 c)]                                      |               |                  |           |
|          | <b>Subtotal (A)</b>   |               |                  |           |
| <b>B</b> | <b>Engineering Costs</b>  |               |                  |           |
| 1        | Detailed engineering, procurement, construction, supervision and project management |               |                  |           |
| 2        | Service tax on above  |               |                  |           |
|          | <b>Subtotal (B)</b>   |               |                  |           |
| <b>C</b> | <b>Owner's Cost, Start-up Expenses</b>  |               |                  |           |
| 1        | Start-up and commissioning expenses   |               |                  |           |
| 2        | Owner's management expenses   |               |                  |           |
|          | <b>Subtotal (C)</b>   |               |                  |           |
| <b>D</b> | <b>Other Costs</b>  |               |                  |           |
| 1        | Contingencies and escalation  |               |                  |           |
| 2        | Preliminary and pre-operative expenses  |               |                  |           |
| 3        | Interest during construction period and financing charges                           |               |                  |           |
| 4        | Margin money for working capital  |               |                  |           |
|          | <b>Subtotal (D)</b>   |               |                  |           |
|          | <b>Total (A+B+C+D)</b>  |               |                  |           |

(\*) INR + FE Converted to INR

Note : Details of assumptions and calculations to be given for Item D.

**Attachment 1 (a)**  
[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**1. CAPITAL COST OF CITY GATE STATION**

| Sr. No.  | Description                                      | INR | FE | Total (*) | Technical Specifications        |
|----------|--|-----|----|-----------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Land</b>                                      |     |    |           |                                 |
| 1        | Cost of land (for siting the CGS only)           |     |    |           | Area in Square meters and Rate. |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                                 |
| <b>B</b> | <b>City Gate Station</b>                         |     |    |           |                                 |
| 1        | Mechanical                                       |     |    |           |                                 |
| 2        | Instrumentation                                  |     |    |           |                                 |
| 3        | Electrical                                       |     |    |           |                                 |
| 4        | Fire fighting system                             |     |    |           |                                 |
| 5        | Any other item (details to be given)             |     |    |           |                                 |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                                 |
| <b>C</b> | <b>Capital Spares (details to be given)</b>      |     |    |           |                                 |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                                 |
| <b>D</b> | <b>Erection</b>                                  |     |    |           |                                 |
| 1        | Mechanical                                       |     |    |           |                                 |
| 2        | Electrical                                       |     |    |           |                                 |
| 3        | Instrumentation                                  |     |    |           |                                 |
| 4        | Civil work                                       |     |    |           |                                 |
| 5        | Land   |     |    |           |                                 |
| 6        | Any other item ( details to be given)            |     |    |           |                                 |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                                 |
| <b>E</b> | <b>Taxes &amp; Duties</b>                        |     |    |           |                                 |
| 1        | Ocean freight                                    |     |    |           |                                 |
| 2        | Customs duty                                     |     |    |           |                                 |
| 3        | Port handling                                    |     |    |           |                                 |
| 4        | Inland freight                                   |     |    |           |                                 |
| 5        | Excise and CST                                   |     |    |           |                                 |
| 6        | Works Contract Tax                               |     |    |           |                                 |
| 7        | Insurance  |     |    |           |                                 |
| 8        | Any other applicable tax and duty (give details) |     |    |           |                                 |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                                 |
|          | <b>Total (A to E)</b>                            |     |    |           |                                 |

(\*) INR + FE Converted to INR

Page | 19

**Attachment 1 (b)**  
[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**2. CAPITAL COST OF ONLINE COMPRESSORS FOR CNG**

| Sr. No.  | Description                                      | INR | FE | Total (*) | Technical Specifications |
|----------|--|-----|----|-----------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>On-line Compressor and related facilities</b> |     |    |           |                          |
| 1        | Online Compressor                                |     |    |           |                          |
| 2        | DG Set AND Control Panel                         |     |    |           |                          |
| 3        | Fire Fighting System                             |     |    |           |                          |
| 4        | Metering Skid                                    |     |    |           |                          |
| 5        | UPS or Battery Banks                             |     |    |           |                          |
| 6        | Miscellaneous                                    |     |    |           |                          |
| 7        | Any other item (details to be given)             |     |    |           |                          |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                          |
| <b>C</b> | <b>Capital Spares</b> (details to be given)      |     |    |           |                          |
| <b>D</b> | <b>Erection</b>                                  |     |    |           |                          |
| 1        | Mechanical                                       |     |    |           |                          |
| 2        | Electrical                                       |     |    |           |                          |
| 3        | Instrumentation                                  |     |    |           |                          |
| 4        | Civil Work                                       |     |    |           |                          |
| 5        | Any other item (details to be given)             |     |    |           |                          |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                          |
| <b>E</b> | <b>Taxes and Duties</b>                          |     |    |           |                          |
| 1        | Ocean Freight                                    |     |    |           |                          |
| 2        | Customs Duty                                     |     |    |           |                          |
| 3        | Port Handling                                    |     |    |           |                          |
| 4        | Inland Freight                                   |     |    |           |                          |
| 5        | Excise and CST                                   |     |    |           |                          |
| 6        | Works Contract Tax                               |     |    |           |                          |
| 7        | Insurance  |     |    |           |                          |
| 8        | Any other applicable tax and duty (give details) |     |    |           |                          |
|          | <b>Subtotal</b>                                  |     |    |           |                          |
|          | <b>Total (A to E)</b>                            |     |    |           |                          |

(\*) INR + FE Converted to INR

Note :

- Compressor facilities to be considered shall include the online compressor and equipments between inlet valve to discharge flange.
- Facilities beyond the discharge valve of the online compressor for CNG, booster compressors in CNG stations and land shall not be considered for return on capital employed in the determination of compression charge for CNG.
- The above cost is to be considered for return on capital employed in the determination of compression charge for CNG.

**Attachment 1 (c)**

[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**3. CAPITAL COST OF CITY GAS DISTRIBUTION**

| Sr. No.  | Description of facilities                  | INR | FE | Total (*) | Technical Specifications |
|----------|--|-----|----|-----------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Equipment</b>                           |     |    |           |                          |
| 1        | Pipe MDPE                                  |     |    |           |                          |
| 2        | Pipe HDPE                                  |     |    |           |                          |
| 3        | Steel Pipes - Main Gridline PE Coated      |     |    |           |                          |
| 4        | Cathodic Protection                        |     |    |           |                          |
| 5        | SCADA                                      |     |    |           |                          |
| 6        | OFC, Telecom & Telesupervisory System      |     |    |           |                          |
| 7        | Warning Grid Tape                          |     |    |           |                          |
| 8        | Odourising Unit                            |     |    |           |                          |
| 9        | MDPE Valves, Fittings, Transition Fittings |     |    |           |                          |
| 10       | DRS  |     |    |           |                          |
| 11       | TCP / PCP                                  |     |    |           |                          |
| 12       | Capital Stores (give details)              |     |    |           |                          |
| 13       | Any other item (details to be given)       |     |    |           |                          |
|          | <b>Subtotal</b>                            |     |    |           |                          |
| <b>B</b> | <b>Erection</b>                            |     |    |           |                          |
| 1        | Mechanical                                 |     |    |           |                          |
| 2        | Electrical                                 |     |    |           |                          |
| 3        | Instrumentation                            |     |    |           |                          |
| 4        | Civil Work                                 |     |    |           |                          |
| 5        | Land                                       |     |    |           |                          |
| 6        | Any other item (details to be given)       |     |    |           |                          |
|          | <b>Subtotal</b>                            |     |    |           |                          |
| <b>C</b> | <b>Taxes &amp; Duties</b>                  |     |    |           |                          |
| 1        | Ocean Freight                              |     |    |           |                          |
| 2        | Customs Duty                               |     |    |           |                          |
| 3        | Port Handling                              |     |    |           |                          |
| 4        | Inland Freight                             |     |    |           |                          |
| 5        | Excise and CST                             |     |    |           |                          |
| 6        | Works Contract Tax                         |     |    |           |                          |
| 7        | Insurance                                  |     |    |           |                          |
| 8        | Any other cost (details to be given)       |     |    |           |                          |
|          | <b>Subtotal</b>                            |     |    |           |                          |
|          | <b>Total (A+B+C)</b>                       |     |    |           |                          |

(\*) INR + FE Converted to INR

Note :

1. Pipelines includes pipelines for transportation of natural gas to Online Compressor for CNG.

**Attachment 1 (d)**  
[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**Estimated Profit and Loss Account**

|         |  | Rs.    |        |        |        |         |
|---------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sr. No. | Description  | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 25 |
| 1       | <b>Total Inflows</b>   |        |        |        |        |         |
| a       | -Revenue from Network Tariff (based on PIRR)   |        |        |        |        |         |
| b       | -Revenue from compression charge for CNG (based on PIRR)   |        |        |        |        |         |
| 2       | <b>Total Operating cost Outflows (*)</b>   |        |        |        |        |         |
| a       | Consumables & Chemicals  |        |        |        |        |         |
| b       | Utilities- (Power, Fuel)   |        |        |        |        |         |
| c       | Salaries   |        |        |        |        |         |
| d       | Repair & Maintenance   |        |        |        |        |         |
| e       | Gen Administrative Expenses  |        |        |        |        |         |
| f       | Bank Charges (including on Bid Bond and Performance Bond as per the Grant of Authorization)                                  |        |        |        |        |         |
| g       | Other Expenses (excluding bad-debts) (to be detailed)  |        |        |        |        |         |
| g       | Insurance (including on Line Pack volumes)   |        |        |        |        |         |
| 3       | <b>Profit before Depreciation, Interest and Tax (PBDIT) (1 - 2)</b>  |        |        |        |        |         |
| 4       | Interest on Working Capital Borrowings to the extent utilised in working capital requirement for above expenses (with rates) |        |        |        |        |         |
| 5       | Interest on Term Loans (with rates)  |        |        |        |        |         |
| 6       | <b>Profit before Depreciation and Tax (PBDT) (3 - 4 - 5)</b>   |        |        |        |        |         |
| 7       | Depreciation (on SLM basis) & Misc expenses written off (give details of each)   |        |        |        |        |         |
| 8       | <b>Profit Before Tax (PBT) (6 - 7)</b>   |        |        |        |        |         |
| 9       | Tax provision ( provide as per IT Rules in force )   |        |        |        |        |         |
| 10      | <b>Profit after Tax (PAT) (8 - 9)</b>  |        |        |        |        |         |
|         | Cash From Operation (CFO) (10+7) -To be transferred to cash flow sheet   |        |        |        |        |         |

(\*) Excluding all direct, indirect and allocated common cost associated beyond compression of natural gas in Online Compressor. Financial costs and selling expenses to be excluded.

- Note
1. The Network Tariff shall be based on the volumes of Natural Gas transported in pipelines for all consumers (including supply by pipeline to Online Compressors for compression of natural gas into CNG as determined by the DCF methodology adopted by considering a PIRR, at which level the Net inflows equal the net outflows over the economic life of the project.
  2. The Compression Charge for CNG shall be based on the Volumes of Natural Gas transported by pipeline to online compressors for compression into CNG as determined by the DCF methodology adopted by considering a PIRR, at which level the cumulative inflows equal the outflows over the economic life of the project.
  3. For Expansion/ extension - Same data as applicable for project post expansion or extension.
  4. Land rentals or land lease charges towards siting of online compressors shall not be considered for return on capital employed or operating cost, as the case maybe.
  5. Non-operating income (such as, Interest on interest-free refundable security deposit from PNG domestic customers) not to be considered as project inflows.
  6. Modvat benefit, if available, is to be reflected separately alongwith the calculations.
  6. Copy of Audited Profit & Loss Account to be attached, wherever applicable.

Page

**Attachment 1 (e)**  
[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**CASH FLOW STATEMENT**

|          |   |                     |        |        |        |        |       |         | Rs. |
|----------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----|
| Sr. No.  | YEAR  | Construction period | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ----- | Year 25 |     |
| <b>1</b> | <b>Sources of Funds</b>                     |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| a        | Equity / Preference Equity (*)              |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| b        | Term Loans / short term loans               |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| c        | Cash From Operations                        |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| d        | Bank Borrowings for Working Capital         |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| e        | Others (Please Specify)                     |                     |        |        |        |        |       |         |     |
|          |   |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| <b>2</b> | <b>Uses of Funds</b>                        |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| a        | Capital Expenditure                         |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| b        | Normal / additional Capital Expenditure     |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| c        | Increase/ (Decrease) in Net Working Capital |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| d        | Repayment of Loans                          |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| e        | Dividends to Equityholders                  |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| f        | Tax on Distributable Profits                |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| g        | Others (Please Specify)                     |                     |        |        |        |        |       |         |     |
|          |   |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| <b>3</b> | <b>Cash Surplus/ (Deficit)</b>              |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| a        | Opening Cash Balance                        |                     |        |        |        |        |       |         |     |
| b        | Closing Cash Balance                        |                     |        |        |        |        |       |         |     |

(\*) Redemption details to be given.

**Attachment 1 (f)**

[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**Estimated BALANCE-SHEET**

| YEAR                                | Construction period | Rs.    |        |        |        |       |         |
|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
|                                     |                     | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ----- | Year 25 |
| <b>ASSETS</b>                       |                     |        |        |        |        |       |         |
| Gross Fixed Assets                  |                     |        |        |        |        |       |         |
| Less : Accumulated Depreciation (*) |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Net Fixed Assets</b>             |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Net Current Assets</b>           |                     |        |        |        |        |       |         |
| Cash & Bank                         |                     |        |        |        |        |       |         |
| Investments                         |                     |        |        |        |        |       |         |
| Misc Fixed assets                   |                     |        |        |        |        |       |         |
| Deferred Revenue Exp.               |                     |        |        |        |        |       |         |
| Others (Please specify)             |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>LIABILITIES</b>                  |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Net Worth</b>                    |                     |        |        |        |        |       |         |
| Equity Capital                      |                     |        |        |        |        |       |         |
| Preference Share Capital (**)       |                     |        |        |        |        |       |         |
| Reserves                            |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Debt</b>                         |                     |        |        |        |        |       |         |
| Rupee Term Loans                    |                     |        |        |        |        |       |         |
| FC Term Loans                       |                     |        |        |        |        |       |         |
| Bank Borrowings for Working Capital |                     |        |        |        |        |       |         |
| Others (Please specify)             |                     |        |        |        |        |       |         |

(\*) Asset head-wise depreciation calculations on SLM basis to be provided.

(\*\*) To the extent non-redeemable. Redeemable Preference Capital to be shown under Debt.

**Note**

a) Copy of Audited Balance Sheet to be attached, where ever applicable.

**Attachment 1 (g)**  
 [see sub-regulation (1) to regulation 5]

**Network Tariff Calculations**

| YEAR   | Construction period | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ----- | Year 25 |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| a) Capital and Operating Cost Outflows (incl. Margin Money)                            |                     |        |        |        |        |       |         |
| b) Inflows (Profit Before Depreciation, Interest & Tax - as per Item 3 of P&L Account) |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Net Inflows/ (Outflows)</b>   |                     |        |        |        |        |       |         |
|  |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Cumulative Inflows/ (outflows)</b>  |                     |        |        |        |        |       |         |

Network Tariff for each year calculated based on reasonable rate of return as project's internal rate of return as specified in clause 2 of Schedule A

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**Compression Charge for CNG Calculations**

| YEAR   | Construction period | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ----- | Year 25 |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| a) Capital and Operating Cost Outflows (incl. Margin Money)                            |                     |        |        |        |        |       |         |
| b) Inflows (Profit Before Depreciation, Interest & Tax - as per Item 3 of P&L Account) |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Net inflows/ (Outflows)</b>   |                     |        |        |        |        |       |         |
|  |                     |        |        |        |        |       |         |
| <b>Cumulative Inflows/ (outflows)</b>  |                     |        |        |        |        |       |         |

Compression charge for CNG for each year calculated based on reasonable rate of return as project's internal rate of return as specified in clause 2 of Schedule A

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



**Attachment 1 (h)**

[see sub-regulation (1) to regulation 5]

**Details of the assumptions made in the calculations**

1. Exchange rate used for computing capital costs
2. Format of Annual Operating Cost

| Sr. No.   | Description of cost elements              | Rs. |
|-----------|---|-----|
| <b>A.</b> | <b>Variable Cost</b>                      |     |
| 1         | Consumables                               |     |
|           | a) Fuel (quantity and rate)               |     |
| 2         | Utilities (quantity and rates)            |     |
|           | a) Power (*)                              |     |
|           | b) Water                                  |     |
|           | Any other Expenses ( to be specified)     |     |
|           | <b>Sub Total</b>                          |     |
| <b>B</b>  | <b>Fixed / Semi Variable Cost</b>         |     |
| 1         | Salary and Wages                          |     |
| 2         | General Administration                    |     |
| 3         | Repairs and Maintenance                   |     |
| 4         | Any other expenses ( to be specified) (£) |     |
|           | <b>Sub Total</b>                          |     |
| <b>C</b>  | <b>Insurance (%)</b>                      |     |
|           | <b>Total (A+B+C)</b>                      |     |

- (\*) Break-up of purchased power (over fixed charge & variable charge) & own generation to be provided  
 (\$) Break-up over routine & turnaround as well as function-wise over electrical, civil, mechanical, etc. to be provided.  
 (£) Basis of direct & indirect administrative expenses (alongwith basis of allocation to be provided).  
 (%) Break-up of premia on loss of profit, facilities & Line-pack volume to be provided.

**Note**

- a For each items of operating cost, detailed assumptions and calculations to be attached.
- b Give basis of allocation / apportionment of costs over various categories of customers (CNG & PNG - residential, commercial, industrial) over each of the cost element.

- 3 Project implementation schedule to be given along with break up of expenditure for each year
- 4 Loan schedule to be provided for each type of loan, interest rates, repayments etc
- 5 Applicable rates of depreciation as per schedule VI of the Companies Act and Income Tax Act shall be provided.
- 6 Pipeline lengths based on type/ class in the CGD network.
- 7 Steel pipeline design capacity and rated capacities of online compressors of CNG to be provided.
- 8 Capacity utilisation of the steel belting pipeline and online compressors of CNG alongwith the basis to be provided.
- 9 Implementation period of project in phases to be indicated.
- 10 Economic life of the project
- 11 Applicable Rate of Income Tax

**Attachment 1 (h) (contd...)**  
**[see sub-regulation (1) to regulation 5]**

- 12 **Details of Volumes of Natural Gas to be transported in pipelines in the CGD Network (in SCM or In Kg as applicable, based on the conversion factors).**

|                   | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ----- | Year 25 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| CNG               |        |        |        |        |       |         |
| PNG - Residential |        |        |        |        |       |         |
| PNG - Commercial  |        |        |        |        |       |         |
| PNG - Industrial  |        |        |        |        |       |         |
| <b>Total</b>      |        |        |        |        |       |         |

**Note:**

A) Growth rates for various segments of customers.

B) Detailed note for base year volumes & growth rates assumed.

C) Conversion factors adopted in determination of calorific equivalence of the volume of natural gas to be provided.

- 13 **Pipeline Tariff details as given below shall be furnished.**

|  | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ----- | Year 25 |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 1 Compression Charge for CNG in Rs./ Kg (*)      |        |        |        |        |       |         |
| 2 Overall Unit Network Tariff in Rs./ MMBTU (\$) |        |        |        |        |       |         |

(\$) considering supply of natural gas by pipeline to online compressors for compressing into CNG.

(\*) considering PNG supplies to all consumers, including supply of natural gas to online compressors for CNG.

- 14 Copy of the duly appraised/ approved Detailed Financial Report to be enclosed. Any variation in the parameters adopted in the calculation of the network tariff and/ or the compression charge for CNG from the basis adopted in the DFR to be explained.

[F. No. S-Admn/II/8/2007-Vol. I]

AJAY TYAGI, Secy.